समाज में महिला हिंसा का स्वरूप

*डॉ. अजुंबाला शर्मा

सम्पूर्ण विश्व में लैंगिंक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अधिकांश सभ्य समाजों में पुरूष ने स्त्री को अपने उपनिवेश की तरह समझा है। बीसवीं सदी में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ है। इन घटनांओं में एक महत्वपूर्ण घटना एटम बम के विस्फोट तथा परमाणु विस्फोट के परीक्षणों की श्रृंखला की है, तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना स्त्री की उस छटपटाहट की है जो उसने इस सदी में पुरूष की कैद से आजाद होने के उल्लेख से प्रदर्शित की है। एटम बम ने जहॉ विध्वंस के चरम बिन्दु को स्पर्श किया है। वही औरत की आजादी सकारात्मक सामाजिक समानता के स्वप्न को संजोती है।

नारी में अशिक्षा जागरूकता के अभाव के कारण विभिन्न प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न को मूक बनकर सहती है। लेकिन व्यावसायिक क्षेंत्र में आने से आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। जिसकें फलस्वरूप महिलाओं को दोहरी पारिवारिक तथा व्यावसायिक भूमिकाओं को करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। जो कि अनेक पारिवारिक असामंजस्य का आधार बन जाता है और इससे उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है।

1. महिला हिंसा अवधारणा

भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज रहा है। जहॉ कि जीवन का हर पक्ष किसी न किसी रूप में धर्म द्वारा परिभाषित संचालित एंव नियंत्रित रहा है। अतः भारतीय सन्दर्भ में नारी भी अपने विभिन्न रूपों में धर्म से परिबद्ध रही है। नारी की पूर्णता का प्रमुख आधार विवाह माना गया, जिसे भारतीय संस्कृति में जन्म– जन्मान्तर का रिश्ता, धार्मिक संस्कार एंव अटुट बन्धन माना गया। इन्हीं धारणाओं एवं विश्वासों के फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में सामजस्य की समस्या कभी सामनें नहीं आई। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि परम्परागत धारणाओं से प्रभावित होकर पति पत्नी अपनी निजी इच्छाओं को कम महत्व देते हुए पारस्परिक मतभेद व असमानताओं के होते हुए भी एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने की अपेक्षा परस्पर समझौता करते हुए पारिवारिक जीवन को धार्मिक बन्धन मानकर परस्पर सामंजस्य करने का प्रयत्न करते थे।

यद्यपि भारतीय समाज के परम्परागत रूप में पुरूष प्रमुख रहा है और नारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह पति को देवता मानें तथा सास–ससुर की पूजा करें और जिस घर में उसकी डोली आई है, उससे अर्थी ही बाहर जायें अर्थात अपने सम्पूर्ण जीवन में अपनी इच्छाओं के विपरीत परिस्थितियों (शोषण) को मूक बनकर सहन करें। अतः नारी हर प्रकार के शोषण को सहन करना ही अपना कर्त्तव्य समझती है।

औरत एक मॉ, बहन, पत्नी, बेटी, होती है। ये सारी भूमिकाएँ वह अपने जीवन में निभाती है। औरत एक नई पीढी को जन्म देती है। उसका विकास करती है। और इस प्रकार समाज बनता है। अतः हम कह सकते है कि समाज का निर्माण करने वाली महिला ही है। फिर भी समाज में औरतों को हीन समझा जाता है। समाज पुरूषों को उस पर नियंत्रण का अधिकार देता है। वही नियंत्रण अलग–अलग हिंसा का रूप ले लेता है। कुछ लोग इस हिंसा को जरूरी समझकर आदमी और औरत के बीच गैर बराबरी को बढाते है।

इस अपराध को सही ठहराने के कई तर्क या बहाने है जैसे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिये, ये तो औरत का नसीब है और औरतों को तो नियंत्रण में ही रहना चाहियें।

समाज में महिलाओं पर कई तरह से हिंसा होती है। जैसे महिलाओं का खरीदना बेचना एक आम धंधा है। नासमझ बच्चियों को बहला–फुसलाकर या झूठा लालच दिखाकर जैसें अच्छी शादी, अच्छी नौकरी, सुन्दर जिन्दगी उन्हें धन्धें में धकेल दिया जाता है। कई बार मजबूर माता–पिता भी कन्या को एक चीज समझकर बेच देते है।

एक शादीशुदा औरत को ससुराल में गाली–गलौच और सास–ससुर आदि का दुर्व्यवहार सहना पडता है। वे बहु को अपनी सम्पत्ति समझते है व धन प्राप्ति का जरिया भी। अगर उनकी यह इच्छा पूरी न हो तो बहू पर तरह–तरह से हिंसा दुर्व्यवहार व अत्याचार करते है। खाना बनाना औरतों का कार्य समझा जाता है। पसन्द न आने पर आदमी समझता है कि उसे औरतों पर हिंसा करने का पूरा हक है, परन्तु आदमी गलत काम करें या अपने कर्त्तव्य को पूरा न करें तो औरत को यह हक नहीं कि वह अपनी असन्तुष्टि दिखायें।

भारत के कई भागों में औरतों को डायन, चुडैल समझकर जिन्दा जला दिया जाता है। ज्यादातर बूढी, विधवा, बेसहारा औरतें इस हिंसा का अक्सर शिकार होती है। कई बार तो जमीन, जायदाद, धन सम्पत्ति के लालच में भी ऐसा होता है।

एक कुंवारी लडकी का गर्भवती होना शारीरिक व मानसिक अत्याचार का कारण बन जाता है। पुरूष यदि अपने पिता बनने के कर्त्तव्यों से मुॅह फेर ले तो उस पर कोई ऑच नहीं आती परन्तु स्त्री को तरह–तरह के शारीरिक जोखिम और बदनामी का सामना करना पडता है।

परिवार के अन्दर औरतों को किसी भी तरह का निर्णय लेने नहीं दिया जाता है, चाहे इससे उनके जीवन पर प्रभाव ही क्यों न पडें। अक्सर एक औरत की शारीरिक व मानसिक जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पुरूष कई बार अपनी पत्नी से बात नहीं करता। यदि पत्नी उसकी कोई जरूरत पूरी न करें या समझें।

कई समाजों में पुरूषों को दूसरी पत्नी लाने का अधिकार होता है। यह स्थिति दोनों पत्नियों मे तनाव पैदा करती है। लेकिन महिला नाखुश है तो भी दूसरा पति नहीं रख सकती है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ अभद्रता व उत्पीडन आम बात है। मौखिक व शारीरिक छेडछाड़ भी यौन उत्पीडन माना गया है।

समाज पुरूष को अपनी यौन इच्छाए पूरी करने की छूट देता है। परन्तु स्त्री को अपने अपने शरीर व यौनिकता पर किसी भी प्रकार का हक नहीं देती। पुरूष कण्डोंम का प्रयोग या नसबंदी नहीं करवाता तो औरत को ना चाहते हुये भी गर्भ धारण करना पडता है। उसे एडस, यौंन रोग आदि खतरों का सामना करना पडता है। परिवार को छोटा करने या वंश बढानें हेतु बेटे की मांग पर औरत को गर्भपात करवाना पडता है।

एक पति जब अपनी पत्नी को छोड देता है। उसे घर से निकाल देता है। सामाजिक बदनामी के डर से पिता के घर में भी उसे जगह नहीं मिलती। समाज उनकों नए सिरे से जीवन शुरू करने का कोई रास्ता नहीं दिखाता।

जन्मते ही लडकी की हत्या अभी भी हमारें समाज में जारी है। सारी जिन्दगी औरत कों हिंसा के डर से जीना पडता है। नन्हीं बच्चियों को कई तरह से मारा जाता है। जन्म के बाद विष पिलाकर, सांस घोटकर या पानी में डुबोकर जान ले ली जाती है। कभी उनकों नमक चटाकर या भूखा रखकर भी मारा जाता है और कहीं मां के स्तन पर जहर लगाकर बच्ची को दूध पिलातें वक्त भी मार दिया जाता है।

यदि जन्म के तुरन्त बाद न भी मारा गया तो मॉ का दूध कुछ महीने ही नसीब होता है। उन्हें ठीक से पालन–पोषण नहीं मिलता है। बीमार पडें तो इलाज की सुविधा तो दूर की बात है, उन्हें सही खान–पान व देखभाल भी नहीं मिल पाता। इस कारण नन्ही कन्याऍ बचपन से ही तरह–तरह की बीमारियॉ और छूत के रोगों का शिकार बन जाती है व सदा के लिए अच्छी तन्दुरूस्ती से वंचित रह जाती है।

प्रायः सभी काम महिला व पुरूष दोनो समान रूप से कर सकते है ऐसी कुछ बाते आवश्यक है जो महिला व पुरूष को शारीरिक रूप से प्राकृतिक कारण से अलग करती है। जैसे महिला का गर्भधारण करना, बच्चें को दूध पिलाना, पुरूष के ढाढी का होना आदि। ये सभी स्त्री पुरूष के जैविक भेद है जो कभी नहीं बदलेंगें।

प्रजनन को छोडकर स्त्री व पुरूष समान है। यह तो सामाजिक व्यवस्था है, जो महिला–पुरूष की अलग–अलग भूमिका रखती है, उनसे अलग–अलग अपेक्षाए रखती है। स्त्री पुरूष के भेदभाव को बनाये रखने में सामाजिक रीति–रिवाज जिम्मेदार है। स्त्री पुरूष के लिंग संबंधी भेद समाज करता है, प्रकृति नहीं। इसलिए हम देखते है कि ये भेदभाव समय–समय पर अलग–अलग समाजों में, अलग–अलग देशों में व परिवारों मे अलग–अलग है।

लेकिन आज कानून की मदद से औरतों के मामले मे ठोस सुधार हमारे आस पास जरूर हो रहे है। जैसे लडकियॉ पढनें जाती है, 18 वर्ष की उम्र में शादी, महिला स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रही है। अच्छा जीवन जीने के लिए समाज के सभी लोग (महिला व पुरूष) का योगदान आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाए है। ये कानून महिला अधिकार के रक्षक है।

अनुच्छेद 16 में दिये हुये अधिकार का महत्व विशेष उल्लेखनीय है इस व्यवस्था के अनुसार लोक सेवाओं में स्त्री एवं पुरूष को बिना भेद किये अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद –19 में स्त्री अथवा पुरूष दोनो को ही अपनी बात को अभिव्यक्त करने की समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह से किसी भी महिला को शोषण से बचाने के लिए हमारी सरकार ने कई कानून बनाये है, जिनका उपयोग करके महिलाऍ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इन सब अधिकारों के परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से महिला अधिकारों को कानून की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है जितना कि हम इसे समझ रहे है। यह तो समस्या का एक छोटा सा अंश मात्र था। समस्या किस विकराल रूप में हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुडी हुई है।

दहेज की इस समस्या का कोई उचित हल नहीं निकल पा रहा है। खुद लडकी के माता–पिता अपनी बच्ची की अच्छे घर में शादी करने हेतु दहेज के पक्ष में बोलते है। उनका एक मात्र तर्क यही रहता है कि अगर लडकी की अच्छे घर में शादी करनी है तो दहेज देना ही पडेगा। कानूनी रूप से दहेज मांगना एक अपराध है। अगर स्त्री विधवा है, गरीब है, तलाकशुदा है तो उसके सामने सामाजिक ही नहीं अपितु आर्थिक समस्याऍ भी उठ खडी होती है। ऐसी स्त्रियों के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे है, जैसे – राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएँ, जिसमें – (1) मुख्य ऋण योजना, (2) ऋण प्रोत्साहन योजना, (3) स्वयं सहायता समूह योजना। इन्दिरा महिला योजना, मार्जन मनी ऋण योजना, ग्रामीण महिला विकास योजना आदि कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों के सहयोंग के द्वारा जहॉ बेसहारा महिलाऍ रोजगार पा सकती है, वहीं वे अपने अधिकारों के प्रति और सजग हो पाएँगी।

दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा भी बहुत बडे रूप में खडी है। इसके निदान के लिए यह आवश्यक है कि महिला अपने घर में अपनी स्थिति तथा अधिकारों के प्रति जागरूक हों। दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधन), 1986 के अनुसार दहेज लेना व देना दोनो पर कानूनी रोक है। इससे महिलाओं ने अपने अधिकारों के साथ समाज की इस कुप्रथा से लडना सिखा है।

लोग दहेज के लिए अपनी बहु को जला देते है, मार देते है, तो यह स्थिति आने से पहले क्यों न एक स्त्री अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जायें और हर उस तरह के अत्याचार, जो उसे चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरह से परेशान करें, उसका वह डटकर मुकाबला कर सकें। धारा 304 बी के तहत हत्या, जो कि विवाह के सात वर्ष के अन्दर प्रताडित करने से हुई हो, इस हेतु आजीवन कारावास की व्यवस्था है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक यहॉ तक की राजनैतिक रूप से दृढ़ करने के लिए कानूनी अधिकारों की व्यवस्था स्थापित की गई है। जरूरत है तो बस इस बात की कि महिलाऍ अपने अधिकारों प्रति जागरूक हों।

जब तक महिलाएँ अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों कें प्रति जागरूक नहीं होगी। तब तक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिला सशक्तिकरण की नहीं बल्कि पुरूष सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी पाबन्दियॉ महिला पर है, वे पुरूष समाज द्वारा ही ईजाद की गई है।

महिलाएँ और हिंसा

जैसे–जैसे समाज में स्वतन्त्रता और आधुनिकीकरण बढता जा रहा है। वैसे–वैसे आदमी और अधिक बर्बर और पाश्विक बनता जा रहा है। उसकी दृष्टि में मासूम बच्ची से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा तक मात्र एक महिला है। इसी मानसिकता के कारण महिलाओं को बार–बार बलात्कार का शिकार होना पडता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य बनाम गुरमीत सिंह के बाद में स्पष्ट कहा था ''एक हत्यारा तो किसी व्यक्ति को केवल जान से मारता है, जबकि एक बलात्कारी पीडिता की आत्मा को उसकी स्वयं की नजरों से गिरा देता है।'' सुसन ब्राउन मिलर के अनुसार ''बलात्कारी पुरूषों द्वारा महिलाओं को लगातार बलात्कार से भयभीत रखकर समस्त महिला समाज पर नियंत्रण बनाए रखने का षडयंत्र है।''

बलात्कार के प्रकरण

क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट के वर्ष 2002 के आंकडों से पता चलता है कि हमारे देश में प्रतिदिन बलात्कार के लगभग 50 प्रकरण दर्ज होते है। अर्थात प्रत्येक घण्टें में देश में बलात्कार की दो घटनाएँ हो जाती है। इन दर्ज प्रकरणों मे से लगभग एक तिहाई से ज्यादा 374 दिल्ली शहर मे हुए। वर्ष 2001 मे 380 तथा वर्ष 2002 में वह संख्या 403 तक पहुॅच गई थी। इनमें से लगभग आधे प्रकरणों में पडोसियों को दोषी पाया गया। पडोंसियों के बाद किरायेदार व दोस्त तथा रिश्तेदार बलात्कार जैसे जघन्य और घृणित अपराध में लिप्त पाए गए।

1. **पारिवारिक हिंसा** :– अधिकतर महिलाएँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतियों द्वारा प्रताडित की जाती है। इन्हें शारीरिक यातनाएँ दी जाती है। पुलिस अन्वेषण में यह तथ्य सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएँ पति द्वारा पीटी जाती है। उनके साथ गाली–गलौच किया जाता है। इन मामलों मे परिवार के सदस्यों, पडौसियों मित्रो द्वारा पति–पत्नी का निजी घरेलू मामला मानते हुए ऑखे बन्द कर ली जाती है। इस दशक में महिला समूहों के केन्द्रो से सम्पर्क करने पर ज्ञात होता है कि 100 ऐसी महिलाओं में से 26 महिलाएँ पति द्वारा पीडित होती है। इनमें महिलाएँ प्रकरण तब ही उजागर करती है। जब पति की हिंसात्मक कार्यवाही असहनीय हो जाती है।

2. **दहेज हत्याएँ** :– विवाह के समय दुल्हन को पारम्परिक रिवाज के अनुसार दहेज देना सभी जाति, धर्म, वर्ग एवं क्षेत्रों में प्रचलित है। मानव समाज में मानव संबंधो में व्यापारीकरण एवं आर्थिक तत्वों का महत्व बढता जा रहा है। इससे समाज में दहेज रूपी दानव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। दहेज ज्यादा से ज्यादा मांगने के लिए दहेज हत्याएँ की जाती है।

   कुछ युवा पत्नी आत्महत्या कर लेती है। कुछ को दहेज की मांग में पति द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। ताकि वह दूसरी शादी कर दहेज और प्राप्त कर सकें। दहेज हत्या प्रायः दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इन हत्याओं में ज्यादातर प्रकरण घर के अन्दर के भाग में होते है।

3. **लैंगिक हिंसा** :– महिला लैंगिंक हिंसा के ऑकडे न केवल राजस्थान में वरन् पूरे भारत में सरकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर प्रकरण वैधिक अधिकारी को पंजीकृत नहीं कराए जाते। समाज में महिला को अत्यधिक नाजूक माना गया है। इसकी रक्षा करना परिवार की इज्जत मानी जाती है। लैंगिक हिंसात्मक कार्यवाही में महिला अपने आप को सामने नहीं लाती क्योंकि वह अपने स्वयं के प्रति शर्म, परिवार के प्रति शर्म, यदि पुनर्विवाह होगा तो पति के साथ रहेगी तब समाज में व अन्य सभी स्थानों पर शर्म महसूस करेगी। वैधानिक दृष्टि से लैंगिंक हिंसा को सिद्ध करना समाज में कठिन कार्य है।

4. **हिंसात्मक अपराध** :– महिलाओं पर भारत में हिंसात्मक अपराध की संख्या प्रतिवर्ष बढती जा रही है। यह संख्या अपराधों मे बढती हुई प्रवृति को दर्शाती है। ऐसे महिला अपराध किसी विशेष उद्देश्य यथा चोरी, डकैती के समय होते है।

5. **सामाजिक हिंसा** :– ये महिला अपराध भ्रूण हत्या के रूप में अधिक होते है। भारत में समाज पितृप्रधान है। समाज के सभी दृष्टिकोण से पुरूष को प्रधान माना गया है। अतः प्रत्येक परिवार, समाज में लडके का जन्म उत्तम एंव लडकी का जन्म श्राप माना जाता है। इस प्रवृति में वैज्ञानिक तकनीकी ने बढोतरी की है। गर्भ में शिशु लिंग परीक्षण कर गर्भस्थ महिला शिशु की हत्या की जा रही है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में महिला की हिसा के रूप में लडकी को जन्म देते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं के प्रति अन्य प्रमुख कारणों मे उच्च दहेज, पुरूष प्रधान समाज, स्त्री की घटती परिस्थिति आदि मुख्य है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रमुख कारण निम्नांकित प्रकार से है।

1. परिस्थिति जिसके कारण हिंसापूर्ण व्यवहार किया जाता है।

2. पीडितों की विशेषताएँ

3. उत्पीडित करने वाले की विशेषताएँ यथा (अ) पीडित द्वारा भडकाना (ब) नशा (स) महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना और (द) परिस्थिति सम्बन्धी लालसा

3 भारत वर्ष में स्त्रियों की स्थिति

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय में विभिन्न मत पाये जाते है। सरस्वती विद्या की देवी, लक्ष्मी धन की देवी और दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। इस प्रकार हिन्दुओं में स्त्रियॉ पूज्य मानी जाती है।

मनु ने कहा है – 'यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'! अर्थात् जहॉ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। किन्तु कथनी और करनी में बहुत अंदर है। मनु ने स्त्रियों के संबंध में दूसरी नीति निर्धारित की है। कथनी में ''यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते'' कहा है तो करनी में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

''पिता रक्षति कौमार्ये भती रक्षति यौवने।
पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्रता मर्हति।।''

अर्थात् पिता कुमारी अवस्था में, पति यौवनकाल में और पुत्र वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहती।

अर्थात् लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जीवन पर्यन्त पुरूष की अधीनता मे रहती है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। यह भी 'मनु' ही कहते है।

यही भाव याज्ञवल्क्य के भी है –

'रक्षेत् कन्यां पिता, निम्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धक्ये।
अभावे ज्ञतयस्तेषां न स्वातंन्त्रय कवचित् स्त्रियाः।।'

इसी प्रकार की अनेक और भी उक्तियॉ है, जिनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री कभी भी स्वतन्त्र नहीं है। स्वतन्त्रता का यही बहुआयामी स्वरूप है अर्थात् चाहे गृहकार्य हो, सम्पत्ति संबंधी कार्य हो वह आजीवन पुरूष के अधीन रहती है। स्त्री की परतंत्रता की अवधारणा के पीछे यह तर्क दिया गया है '

''स्त्रियों निरिन्द्रिया भद्रायादि''।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति में जितना आरेह व अवरोह होता रहा है, सम्भवतः विश्व के इतिहास मे किसी दूसरे समाज में यह स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हिन्दी जीवन का दृष्टिकोण नारी के प्रति इतना सम्मानपूर्ण और गौरवान्वित रहा है कि नारी को ही सभ्यता का स्त्रोत, संस्कृति का निर्माता व सामाजिक जीवन का आधार माना है।

भारतीय संस्कृति समष्टिगत है। यह सामूहिकता की पोषक है। इसमें जीवन मात्र के कल्याण की भावना निहित है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष हैः–

सर्वेभुन्तु सुखिनः सर्वेशन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत।।

अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग ही रहे, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुःखी ना रहें। वसुधैव कुटुम्बकम् के आदर्श पर चलने वाली भारतीय संस्कृति में परिवार नामक संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारतीय समाज में गृहस्थाश्रम की बडी महत्ता और प्रतिष्ठा है। इसी आश्रम के अन्तर्गत व्यक्ति परिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए पुरूषार्थ को प्राप्त करता है और ऋणों से मुक्त होता है। इसी प्रकार परिवार सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है।

संयुक्त परिवार में माता–पिता, बहन–भाई, पति–पत्नी, पितामह, भाईयो की स्त्रियॉ, बच्चे आदि होते है। भारत में संयुक्त परिवार की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ऋग्वेद के मंत्र में पुरोहित वर–वधु को आशीर्वाद देते हुए कहता है – ''तुम यहीं इसी घर में रहो, विमुक्त मत हो, अपने घर में पुत्र और पोत्रों के साथ खेलते हुए, आनन्द मानते हुए सम्पूर्ण आयु का उपभोग करों।'' मगर आधुनिक काल में संयुक्त परिवार की त्रिवेणी सूखने लगी है। एकाएक संयुक्त परिवारों के बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके स्थान पर स्वतंत्र एकल परिवारों का उद्देश्य बडी तीव्र गति के साथ हो रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वृद्ध सदस्यों की स्थिति चितंनीय होती जा रही है।

परिवार सहयोग भावनाओं और संवेदनओं का घरोंदा है। इन्हीं औजारों से परिवार को तरासा जाता है। इनके अभाव में परिवार रूपी शरीर मे विकृति आ जाती है तो शरीर के अंग अलग–अलग होकर बिखरने लग जाते है। अभिमान, कटाक्ष और दुर्भावना परिवार में एकता की जडों को कमजोर करते है। टूटने वाली परिस्थितियॉ वृद्धों के लिए असहनीय हो जाती है, क्योकि संगठन का प्रयास किया है, विघटन का नहीं।

एक परिवार में बढिया नस्ल का कुत्ता पाला गया, वह बीमार हो जाता है। तो घर में उदासी छा जाती है। बच्चे खाना नहीं खाते। उसकी खूब सेवा करते है समय–समय पर अस्पताल ले जाते है मगर उसी घर में मौजूद दादाजी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जाहिर था कि उनकी निगाहों में कुत्ते की अहमियत अधिक थी। वह खामोश बैठा रहता या छलकूद करता, रात को चौकीदारी करता, कोई भी भाषण या नसियत नहीं देता। शायद यही कुत्तें की महत्ता का प्रमुख कारण था। वहॉ दादाजी की कोई उपयोगिता नहीं थी। फलस्वरूप परिवारजनों के लिए उनकी उपस्थिति दिनो–दिन असहनीय होती जा रही थी। सो बच्चों का पिता अपने नेत्रहीन पिता को चुपचाप एक दिन वृद्धाश्रम में छोड आया। उसी पिता को जिसने उसे अंगूली पकड कर कभी चलना सिखाया था।

ऐसा बैगानापन यदि वृद्ध, अशक्त माता–पिता को अपनी ही सम्पत्ति से भुगतने को मिले तो उनके लिए असहनीय, वेदनादायक स्थिति बन जाती है। संभवतः उन्हें दीर्घआयु अभिशाप की तरह प्रतीत होती है और वे शीघ्र मृत्यु की कामना करने लगते है।

अत्याचार का नामकरण यह बताता है कि उन्होंने उसे अत्याचार मानना सीख लिया, जिसे चुपचाप नहीं सहना चाहियें, उसकों नाम देना उसे किसी वर्ग नाम देने के लिए की गई प्रक्रिया, जिससे होने वाली अनुभूति का वर्गीकरण किया जा सकें, अधिकांशतः प्रचलित श्रेणियॉ वर्तमान स्थिति एवं परिप्रेक्ष्य की उपज है।

आज यह स्पष्टतः माना जाने लगा है कि महिलाओं की दबकर रहने की परिस्थिति उस अत्याचार के साथ निकट से

जुडी हुई है, जो उसे जीवन में सहने पडते है। बहुत सी महिलाएँ घरेलू अत्याचार को नहीं समझती थी। इसलिये वे उसे अत्याचार का नाम देने को तैयार नही थी। अतः स्पष्टतया वे उसे अन्याय नहीं मानती थी। इसीलिए उपकार्यो को अत्याचार नाम देना व इसी रूप में पहचान देना वैज्ञानिक आधार पर उसका विरोध करना है।

अंत में गॉव के स्तर पर महिलाओं के समूदाय के निर्माण का अर्थ है कि अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष चलाना कष्ट साध्य होता है। महिलाओं के समुदायों की जरूरत उन पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध लगातार सामुदायिक संघर्ष के करने के लिए पडती है। परिवार में अत्याचार पर ताजा विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिवार के विषय में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। ये स्पष्टतः अनुभव हो गया है कि महिलाएँ तभी सफल बन सकती है, जब उन्हें ये महसूस होने लग जाये कि लैंगिक, वर्गीय, जातिय आदि दृष्टि से वे पुरूष के अधीन है। अतः उन्हे मिलकर सबल बन जाना चाहियें। इससे उन्हें शोषण व दमन के विभिन्न साधनों से निपटने में सहायता मिलेगी। चाहे परिवार, समुदाय, कार्यक्षेत्र या राज्य सरकार का स्तर हो।

पारिवारिक जीवन व्यक्ति की शक्ति एवं सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है किन्तु किन्हीं कारणों से यदि व्यक्ति को अकेलापन, प्रेम का अभाव, संवेगात्मक अभाव, प्रजनन संबंधी रोगो आदि का सामना करना पडता है तो व्यक्ति टूट जाता है और इससे मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेता है।

औद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोगो की आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ गई है अतः सामान्यतः अधिकांश परिवार आर्थिक दृष्टि से हीन रहते है। स्त्रियों के घर के काम बहुत कम हो गये है। अतः स्त्री और पुरूष के बीच संबंधो मे काफी तनाव आ गया है क्योंकि आर्थिक संकट में पुरूष समझाता है और स्त्रियॉ समझती है कि उनकों भेड–बकरी बनाकर रखा जा रहा है।

दहेज प्रथा सामंती युग की देन मानी जाती है। धीरे–धीरे इस प्रथा का प्रचलन समाज के अन्य वर्गो मे भी होने लगा। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी हम लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए कर्ज लेकर दहेज देने लगें। वर पक्ष लालची बनाकर अब लडकों का व्यापार प्रारंभ हो गया है। धीरे–धीरे दहेज लेना व देना एक प्रथा बन गई है। और सामाजिक परम्परा के रूप में विवाह के समय उसे अनिवार्य समझा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ।

दहेज प्रथा केवल समाज के लिए ही अभिशाप सिद्ध नहीं हुई वरन् इस प्रथा को न जाने कितने व्यक्तियों के जीवन को नरकीय बना दिया। इसके दुष्परिणाम आये दिन सुनाई देते है दहेज न लाने वाली लडकियॉ या तो तिल–तिल करके घुटती रहती है या आत्महत्या कर लेती है या उसके ससुराल वाले किसी ना किसी तरह उसे मार देते है। इससे स्त्रियों के प्रति हिंसा स्तर में वृद्धि हुई है व इनके सम्मान का स्तर घटा है। दहेज की चिन्ता में भ्रूण परीक्षण द्वारा स्त्री भ्रूण को गर्भ में ही मार देती है। स्त्रियों में असुरक्षा बढी है। पारिवारिक विघटन हो रहा है तथा धन की मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है।

व्याख्याता,
एस.एस.जैन सुबोध पी जी महाविद्यालय,
रामबाग सर्किल,जयपुर, राज.।

संदर्भ सूची :

1. कमलेश कुमार गुप्ता : ''भारतीय महिलाएँ : शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार'', बुक एनक्लेव, जयपुर, संस्करण 2005.
2. ज्ञानेन्द्र रावत : 'औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–11002, संस्करण 2008,
3. चितरांसन : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और मानव अधिकार' अल्का प्रकाशन नई दिल्ली।
4. मनजीत सिंह एवं डी. पी. सिंह : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और मानव अधिकार' अटलांटिक प्रकाशन।
5. राम आहूजा : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' रावत प्रकाशन, जयपुर।

6. डॉ0 सुरिन्दर खन्ना : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और मानव अधिकार' स्वास्तिक पब्लिकेशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली–110094.
7. वालीखन्ना चारू : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर कानून' चारू वालीखन्ना सिरियल्स पब्लिकेशन संस्करण 2009.
8. नायर सुधा : 'दक्षिण एशियार्ड समुदाओं में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' सुधा नायर दिल्ली, नवयुग बुक्स संस्करण 2009.
9. जैन, शशी प्रभा और सिंह ममता : ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' शशी प्रभा जैन और सिंह एन. डी. राधा पब्लिकेशनस संस्करण 2001.
10. शिरिन कुडचडकर एवं शबिदा : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' दिल्ली पैनक्राफ्ट इन्टर संस्करण 1998
11. मधुरिमा : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, वैवाहिक संबंधों की गतिविधियाँ'' मधुरिमा नई दिल्ली गोयल प्रकाशन हाऊस 1996.
12. एम. चटर्जी : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' आविष्कार प्रकाशन
13. डॉ. प्रीति मिश्रा : 'महिलाओं के विरूद्ध धरेलू हिंसा, कानूनी नियंत्रण और न्यायिक अनुभव' दीप एवं दीप पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
14. प्रो. अरूण गोयल, डॉ मानविन्दर कौर और डॉ. अमीर सुलतान : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामले और स्वरूप' दीप एवं दीप पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
15. रॉय आसइन : 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' रजत पब्लिकेशन।
16. महिला एवं विकास, संपा. डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003.
17. नारी शोषण : समस्या एवं समाधान, संपा. डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003.
18. गोयल सुनील, गोयल संगीता, भारतीय समाज में नारी, आर. बी. एस. पब्लिशर्स, प्रथम संस्करण, 2003.
19. लॉरेन्स जास्मिन, महिला श्रमिक : सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशसिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003
20. गुप्ता, सुभाष चन्द, कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशसिंग, हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004.
21. महिलाओं के प्रति हिंसा, प्रशिक्षण मॉडयूल, क्रिया प्रकाशन 2008
22. सुझाओं और समाधानों की पुस्तिका, दक्षिण एशियाई अप्रवासी महिलाओं के लिए निर्देशिका, क्रिया प्रकाशन 2008
23. महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन का निर्माण, वैश्विक संवाद श्रृंखला, क्रिया प्रकाशन 2008
24. मैगजीन–सूची
25. 1. जागृति : अक्टूबर, 2006
26. 2. कुरूक्षेत्र : दिसम्बर 2006
27. 3. समाज कल्याण : दिसम्बर 2007
28. 4. मधुरिमा : जनवरी 1996